न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2021 GCMS NO 2021/193

दायरा तिथि : 02.09.2021

आदेश तिथि : 08-09-2022

प्रार्थी :–
प्रतापराम पुत्र विरमराम जाति मेघवाल
निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 08-09-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 600, 601 कुल रकबा 2.4100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 579 रकबा 2.17 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 580 रकबा 33.54 हैक्टर किस्म गै.मु.पहाड प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुंडारा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2160 दिनांक 18.07.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 600, 601 रकबा क्रमशः 1.6800 हैक्टर, 0.73 हैक्टर कुल रकबा 2.41 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थी प्रतापराम पुत्र विरमराम जाति मेघवाल निवासी रणसी तहसील व जिला जोधपुर के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं। वर्तमान में आवेदक प्रस्तावित रास्ता से ही खसरा नंबर 554 गै.मु.आबादी से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 579 किस्म बा.दो. व खसरा नंबर 580 किस्म गै.मु. पहाड से होते हुये उनकी खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 600 में आवागमन करते है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	579	2.17 हैक्टर	बा.दो.	348 X 6 = 2088 वर्गमीटर (0.2088 हैक्टर)	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	580	33.54 हैक्टर	गै.मु. पहाड	196 X 6 = 1176 वर्गमीटर (0.1176 हैक्टर)	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी असिंचित एवं आबादी के पास वाला खसरा नंबर 579 जिसमें से 2088 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ता में जाएगी उसकी डी.एल.सी.दर 241542/– रूपये प्रति हैक्टर है एवं खसरा नंबर 580 जिसमें से 1176 व.मी. भूमि प्रस्तावित रास्ता में जाएगी उसकी डी.एल.सी. दर असिंचित एवं आबादी से दूर की डी.एल.सी. दर 178416/– प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार—2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण प्रकरण संख्या 35/2021 GCMS NO 2021/193
अनवान प्रतापराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थी श्री प्रतापराम व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2160 दिनांक 18.07.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजरथान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 600, 601 कुल रकबा 2.4100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 579 रकबा 2.17 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 580 रकबा 33.54 हैक्टर किस्म गै.मु.पहाड मे से **348 X 6 = 2088** तथा **196 X 6 = 1176 कुल रकबा 3264** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 241542/–व 178416/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
579	2.17 हैक्टर	348 X 6 = 2088 वर्गमीटर	24.15	50425 X2=100850	राजकीय सिवायचक भूमि
580	33.54 हैक्टर	196 X 6 = 1176 वर्गमीटर	17.84	20980 X2=41960	राजकीय सिवायचक भूमि
	कुल 35.71 हैक्टर	कुल क्षेत्रफल 2088+1176=3264 वर्गमीटर		100850+41960=142810	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **142810/– (अक्षरे एक लाख बयालीस हजार आठ सौ दस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 22-09-22

पत्रांक : कोर्ट/2022/3500-04

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक खुडाला
3. पटवारी हल्का धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री प्रतापराम पुत्र विरमराम जाति मेघवाल निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner